

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्र हाउस, बाराखंबा रोड
नई दिल्ली-110001

ई-नोटिस: अनुवाद सेवाओं के लिए निविदा

निविदा सं. ICWA/104/16/2014

फरवरी 14, 2023

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
प्रकाशन की तिथि	14.2.2023 (1400 बजे)
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ तिथि	14.2.2023 (1400 बजे)
स्पष्टीकरण प्रारंभ तिथि	14.2.2023 (1400 बजे)
स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि	28.2.2023 (1400 बजे)
बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि	14.2.2023 (1400 बजे)
बोली जमा करने की समाप्ति तिथि	9.3.2023 (1400 बजे)
प्री-बिड बैठक	21.2.2023 (1100 बजे)
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	10.3.2023 (1500 बजे)
अनुवाद परीक्षा की तिथि	बाद में सूचित की जानी है
वित्तीय बोली खोलने की तिथि	बाद में सूचित की जानी है

बोलियां सीपीपी पोर्टल पर जमा की जाएंगी: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) अनुवाद सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मों से बोलियां आमंत्रित करती है।

1. कार्य का दायरा:

इस कार्य में आईसीडब्ल्यूए द्वारा कभी भी प्रदान किए जाने वाले मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी भी पाठ के अंग्रेज़ी से हिंदी और इसके विलोमतः अनुवाद का काम शामिल होगा। विषय-सामग्री का अनुवाद चयनित एजेंसी के संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से किया जाना है न कि ऑटो-ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर जैसे Google Translate आदि के माध्यम से।

2. सामान्य शर्तें

- (i) **टर्नअराउंड समय:** एजेंसी को मूल सामग्री भेजे जाने के समय से अंग्रेज़ी से हिंदी और इसके विलोमतः अनुवाद के लिए वांछित डिलीवरी समय/टर्न-अराउंड समय दो दिन होगा।
- (ii) अनुवाद के लिए मूल सामग्री/पाठ आईसीडब्ल्यूए द्वारा ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- (iii) पॉइंट(स) ऑफ़ कॉन्टेक्ट: एजेंसी प्रमुख कर्मियों को पीओसी(ज़) के रूप में नामित करेगी, जो कि फ़ाइल को अंतरित करने के तरीके (तरीकों), अनुवाद की डिलीवरी, फीडबैक और सामान्य संविदा - संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के समन्वय हेतु होंगे।
- (iv) जिस प्रारूप में दस्तावेज़ प्रदान किया जाता है वह आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट के फॉन्ट के सुसंगत होना चाहिए।
- (v) निर्दिष्ट किए गए कार्य, विभिन्न प्रकृति के होंगे, जैसे तकनीकी, गैर-तकनीकी, रिपोर्ट, भाषण, आदि।
- (vi) **गुणवत्ता की जांच:** अनुदित सामग्री की प्रामाणिकता के लिए इसकी आवश्यक प्रूफ रीडिंग, एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। एजेंसी को निम्नलिखित अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए:

- (क) डिलीवर किया गया लक्ष्य पाठ संपूर्ण है – किसी चूक या परिवर्धन की अनुमति नहीं है।
 - (ख) लक्ष्य पाठ, स्रोत विषय-सामग्री/पाठ का सटीक और समनुरूप अनुवाद है।
 - (ग) उपयोग की जाने वाली शब्दावली और शब्द भंडार, स्रोत विषय-सामग्री/पाठ के अनुरूप हैं।
 - (घ) लक्ष्य पाठ में वाक्य-विन्यास, वर्तनी, विराम चिह्न, टंकण या अन्य व्याकरण संबंधी कोई त्रुटियाँ नहीं हैं।
 - (ङ) प्राधिकृत करने वाले विभाग द्वारा दिए गए प्रत्येक विशिष्ट निर्देश का पालन किया जाता है और सहमत समय सीमा का निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाता है।
 - (च) प्रदेय सामग्री/पाठ में कोई भी रेखांकित की गई त्रुटि, एजेंसी द्वारा बिना कोई पैसा लिए तुरंत ठीक की जानी चाहिए और सही किया गया पाठ तुरंत लौटाया जाना चाहिए।
 - (छ) आईसीडब्ल्यूए अनुवाद की गुणवत्ता पर नियमित फ्रीडबैक प्रदान करेगा, जिसके आधार पर एजेंसी द्वारा आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
- (vii) फ्रीलांसिंग/छोटे-छोटे अनुवाद कार्य करने वाले व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

(viii) गोपनीयता और गुप्तता

- (क) चयनित एजेंसी द्वारा मामले की गुप्तता हर समय बनाए रखी जानी चाहिए।
- (ख) एजेंसी को यह अभिस्वीकृति देनी होगी कि अनुदित पाठ और दृश्य-सामग्री दोनों के लिए कॉपीराइट आईसीडब्ल्यूए के पास है। प्रकाशन/दस्तावेज़ या उसके किसी भाग के स्वामित्व के किसी भी रूप में किसी भी उस दावे पर, जो सामग्री या पाठ के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा पेश किया जाता है, एजेंसी को बिना शर्त के आईसीडब्ल्यूए को क्षतिपूर्ति करने का देने का वचन देना होगा और सहमत होना होगा।
- (ग) एजेंसी, आईसीडब्ल्यूए की लिखित अनुमति के बिना, फोटोकॉपी करने, फोटोग्राफिंग, साइक्लोस्टाइलिंग, माइक्रोफिल्मिंग, स्कैनिंग या कॉपी करने के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या किसी भी अन्य माध्यम सहित किसी भी तरह से प्रतिकृति तैयार करने/पुनर्मुद्रण/तीसरे पक्ष को प्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं होगी।

(ix) संसाधन व्यक्ति

- (क) एजेंसी के स्थायी/काम पर रखे गए प्रमुख कर्मियों की सूची उनकी योग्यता और अनुभव के साथ आईसीडब्ल्यूए को प्रस्तुत की जाएगी।
- (ख) एजेंसी को इस शर्त का पालन करना होगा कि संसाधन व्यक्ति जो मंत्रालय में सूचीबद्ध/प्रस्तुत किए गए हैं, आईसीडब्ल्यूए के सभी कार्यों को पूरा करेंगे।
- (ग) संसाधन व्यक्तियों की सूची में किसी भी परिवर्तन को सहमति के लिए आईसीडब्ल्यूए के तत्काल ध्यान में लाया जाएगा।
- (घ) संसाधन व्यक्ति, जो एजेंसी के चयन के लिए तकनीकी मूल्यांकन के दौरान आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेते हैं, को अनिवार्य रूप से और मुख्य रूप से आईसीडब्ल्यूए के काम को संभालना आना चाहिए।
- (ङ) एजेंसी के संसाधन व्यक्ति, जो परीक्षा में भाग लेते हैं, उन लोगों में से होंगे जिनके नाम निविदा सूचना के अनुलग्नक-1 के क्रमांक 13 में दी गई सूची (सीपीपी पोर्टल में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची) में शामिल हैं और उनकी न्यूनतम योग्यता निम्नलिखित होनी चाहिए:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर या पूर्व-स्नातक डिग्री, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अंग्रेज़ी से हिंदी में और इसके विलोमतः अनुवाद में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स; और

(ii) भारत सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों में अंग्रेज़ी से हिंदी में और इसके विलोमतः, अनुवाद कार्य का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।

उपर्युक्त शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रतियां सीपीपी पोर्टल में तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए जैसा कि निविदा सूचना के अनुलग्नक-1 के क्र.सं.13 (सीपीपी पोर्टल में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची) में दिया गया है।

3. संविदा की वैधता और विस्तार: संविदा पर शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे मौजूदा नियमों और शर्तों पर और एजेंसी की लिखित सहमति से आईसीडब्ल्यूए के विवेकाधिकार पर एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4. दो बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) का पालन किया जाएगा। तकनीकी बोलियां आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली में निविदा सूचना में "महत्वपूर्ण तिथियों" के अंतर्गत दी गई तिथि और समय पर, उन बोली लगाने वालों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो उस समय उपस्थित होंगे।

5. न्यूनतम पात्रता मानदंड:

- (i) बोली लगाने वालों के पास वैध पैन, जीएसटी और अन्य प्रासंगिक कर पंजीकरण होना चाहिए।
- (ii) भारत सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों के साथ काम करने का कम से कम दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।
- (iii) बोली लगाने वालों का पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक टर्नओवर कम से कम रु.20 लाख होना चाहिए। एजेंसी को अपने लेखा परीक्षक से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के टर्नओवर के आंकड़े बैलेंस शीट में अंकित होने चाहिए।
- (iv) एजेंसी को न तो किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया होना चाहिए और न ही एजेंसी या उसके मालिक या भागीदारों के विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया होना चाहिए।
- (v) एजेंसी द्वारा पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियाँ जमा की गई होनी चाहिए।

6. बोलियों को जमा करना: बोली लगाने वालों को अपनी बोलियां सीपीपी पोर्टल पर दो अलग-अलग भागों में अपलोड करनी चाहिए, यथा:

(i) **तकनीकी बोली:** बोली लगाने वाली एजेंसियों को **अनुलग्नक-1** में दिए गए विवरण के अनुसार दस्तावेज़ जमा करने होंगे। केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों का अनुपालन करने वाली बोलियों को ही तकनीकी बोली में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) **वित्तीय बोली:** **अनुलग्नक-11** में दिए गए विवरण के अनुसार जमा की जानी हैं।

7. तकनीकी बोली मूल्यांकन;

(i) केवल वही बोली लगाने वाले तकनीकी मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे जो न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और **अनुलग्नक-1** में उल्लिखित दस्तावेजों को अपलोड करते हैं।

(ii) तकनीकी बोली मूल्यांकन में निम्नलिखित कौशल परीक्षाएं शामिल होंगी:

(क) अनुवाद परीक्षा - अंग्रेज़ी से हिंदी

(ख) अनुवाद परीक्षा - हिंदी से अंग्रेज़ी

कौशल परीक्षाओं की तिथि बाद में सूचित की जाएगी।

(iii) बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जाएगा:

एजेंसी में काम करने वाले उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी योग्यता हिंदी या अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर या स्नातक है	अधिकतम अंक – 10 1 < = 10 = 2 अंक 10 < = 20 = 4 अंक 20 < = 30 = 6 अंक 30 < = 40 = 8 अंक > 40 = 10 अंक
भारत सरकार/राज्य सरकारों/ सार्वजनिक उपक्रमों से कार्य आदेशों की संख्या (उजरती कार्य या 6 माह से कम का कार्य) - अंग्रेज़ी से हिंदी में या इसके विलोमतः अनुवाद - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान: 2019-20, 2020-21 और 2021-22	अधिकतम अंक – 30 1 से 2 = 6 अंक 3 से 4 = 12 अंक 5 से 6 = 18 अंक 7 से 8 = 24 अंक > 8 = 30 अंक
भारत सरकार/राज्य सरकारों/ सार्वजनिक उपक्रमों से दीर्घावधि संविदाओं/एम्पेनलमेंट (6 महीने से अधिक या उसके बराबर की अवधि के अनुबंध) की संख्या - अंग्रेज़ी से हिंदी में या इसके विलोमतः अनुवाद - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान: 2019-20, 2020-21 और 2021-22	अधिकतम अंक – 30 1 से 2 = 6 अंक 3 से 4 = 12 अंक 5 से 6 = 18 अंक 7 से 8 = 24 अंक > 8 = 30 अंक
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एजेंसी का औसत टर्नओवर	अधिकतम 20 अंक = 20 लाख = 16 अंक > 20 लाख व < 50 लाख = 18 अंक = > 50 लाख = 20 अंक
अनुवाद नमूनों की गुणवत्ता (यह उम्मीद की जाती है कि बोली लगाने वाला व्यक्ति भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शब्दावली से अच्छी तरह परिचित है और उनके उपयोग में पारंगत है)	अधिकतम 90 अंक अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद – अंक 45 हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद – 45 अंक नोट: इस खंड में अंक परीक्षा में सटीकता के अनुसार दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि

	सटीकता 90% है, तो अधिकतम अंकों के 90% अंक दिए जाएंगे।
अनुवाद नमूनों की गति [किसी न्यूनतम गति की आवश्यकता नहीं है। शीघ्रता के साथ अनुवाद करने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी और तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। गति का विश्लेषण बोली लगाने वालों के बीच तुलनात्मक होगा]।	अधिकतम 20 अंक अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद – 10 अंक हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद – 10 अंक
योग	अधिकतम 200 अंक

(iv) न्यूनतम योग्यता अंक 160 होंगे।

8. वित्तीय बोली मूल्यांकन:

- (i) जो बोली लगाने वाले तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता प्राप्त करते हैं, वे ही वित्तीय बोली मूल्यांकन में भाग लेने के पात्र होंगे।
- (ii) एक वर्ष में किए जाने वाले अनुवाद का अनुमानित कार्य लगभग 10,00,000 शब्द है। (अस्वीकरण: शब्द गणना अनुमानित है और वेण्डर्स द्वारा उचित बोली लगाने के लिए एक संदर्भ के रूप में उपयोग की जा सकती है। शब्द गणना केवल सांकेतिक प्रकृति की है और वर्तमान तथा साथ ही आगामी वर्षों में अलग-अलग हो सकती है।)
- (iii) वित्तीय बोली में उद्धृत दर का उपयोग एल1 बोली लगाने वाले का चयन करने के लिए किया जाएगा।
- (iv) निविदा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि के बाद वित्तीय बोलियों में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) बोली लगाने वाले यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उद्धृत मूल्य में संविदा अवधि के दौरान कार्य के निष्पादन और निरंतर निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति सहायता शामिल है।

9. नियम और शर्तें:

- (i) बोलियां, निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित "बोली जमा करने की समाप्ति तिथि" से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी।
 - (ii) तकनीकी मूल्यांकन में सहायता के लिए, किसी/सभी बोली लगाने वाले से कोई भी स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार आईसीडब्ल्यू के पास सुरक्षित है। ऐसा स्पष्टीकरण केवल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बोलियों के बारे में किसी अन्य पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - (iii) इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अर्थ यह होगा कि बोली लगाने वाले ने इस निविदा दस्तावेज़ के सभी नियमों और शर्तों और बाद के संशोधनों, यदि कोई हो, को स्वीकार कर लिया है।
 - (iv) चयनित एजेंसी द्वारा निर्मित/संपादित/प्रदान की गई विषय-सामग्री पर आईसीडब्ल्यू का एकमात्र स्वामित्व अधिकार होगा।
- I. (iv) इस निविदा से संबंधित व्याख्या या विवाद से जुड़े सभी मामलों में, आईसीडब्ल्यू का निर्णय अंतिम होगा और बोली लगाने वालों के लिए बाध्यकारी होगा

(vi) **भुगतान की शर्तें:**

(क) भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा।

(ख) एजेंसी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए, माह की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर बिल प्रस्तुत करेगी।

(ग) संविदा की अवधि के दौरान दर में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) आईसीडब्ल्यूए, एजेंसी से अपेक्षा करता है कि परियोजना शुरू करने के लिए वह अनुवाद के क्षेत्र के पेशेवरों को शामिल करेगी और संविदा प्रदान करने से पहले या बाद में किसी भी समय पर, उनके रिज़्युमे, उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता और उपलब्धियों से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार आईसीडब्ल्यूए के पास सुरक्षित है।

(viii) अनुवाद की गुणवत्ता बनाए रखना और निर्धारित समय के भीतर कार्य को पूरा करना (जैसा कि प्रत्येक समनुदेशन के साथ अधिसूचित किया गया है और कार्य के दायरे में निर्धारित किया गया है) सर्वोपरि है और किसी भी चूक के कारण बिना किसी नोटिस के एजेंसी के साथ संविदा रद्द की जा सकती है।

(ix) **बयाना जमा-राशि (ईएमडी):** सीपीपी पोर्टल पर बोलियां जमा करते समय, बोली लगाने वाले को बयाना जमा-राशि (बोली प्रतिभूति) के रूप में "इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स, नई दिल्ली" के पक्ष में आहरित रू.50,000 का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक की प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए।

(x) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई'ज़) या जो अनुवाद सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय खरीद संगठन के साथ पंजीकृत हैं, को छोड़कर बोली लगाने वाले सभी के लिए बोली प्रतिभूति जमा करवाना अनिवार्य है। इस आशय का दस्तावेज़ी प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(xi) बयाना जमा राशि निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से जब्त की जा सकती है:

- क) बोली की वैधता की अवधि के दौरान बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस लेता है या संशोधित करता है;
- ख) चयनित बोली लगाने वाला समय पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है; और
- ग) बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी तरह से असत्य या गलत पाई जाती है।

(xii) **निष्पादन प्रतिभूति:**

क) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सफल बोली लगाने वाले द्वारा रू.1,00,000 की निष्पादन प्रतिभूति, किसी वाणिज्यिक बैंक से 'आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट' या बैंक गारंटी के रूप में प्रदान की जानी है। निष्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि के बाद साठ दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

ख) निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ग) निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल बोली लगाने वाले को बोली प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।

घ) असफल बोली लगाने वालों को बोली प्रतिभूति, अंतिम बोली वैधता की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र और नवीनतम संविदा प्रदान करने के 30वें दिन या उससे पूर्व उन्हें वापस कर दी जाएगी।

ङ) इस निविदा या संविदा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या काम के दायरे के अनुसार संविदा दर पर सभी प्रदेय सामग्री की आपूर्ति करने में सफल बोलीदाता द्वारा इनकार या अक्षमता या देरी का परिणाम अनुबंध की समाप्ति और निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती के साथ-साथ बोली लगाने वाले की भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से अयोग्यता हो सकता है।

(xiii) किसी भी गलत या भ्रामक जानकारी का परिणाम अयोग्यता होगा।

(xiv) बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार आईसीडब्ल्यूए के पास सुरक्षित है। इस संबंध में आईसीडब्ल्यूए का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

- (xv) संविदा दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी, जिसे एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर और आईसीडब्ल्यूए के विवेक पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- (xvi) किसी भी समय 30 दिनों की पूर्व सूचना के साथ या बिना कोई कारण बताए संविदा को समाप्त करने का अधिकार आईसीडब्ल्यूए के पास सुरक्षित है।
- (xvii) **अनुबंध विलेख:** सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध प्रदान करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर, ₹.100 के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर, संविदा की पूर्ति के लिए **अनुलग्नक-V** में यथावर्णित एक अनुबंध को निष्पादित करना होगा। संविदा के निष्पादन पर आकस्मिक व्यय, सफल बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा।
- (xviii) **बोली दस्तावेज़ में संशोधन:**
- च) बोलियों के ई-जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, आईसीडब्ल्यूए अपनी पहल पर या संभावित बोली लगाने वाले द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में बोली दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है।
- छ) बोलियों के ई-जमा करने की समय सीमा से पहले बोली दस्तावेज़ में कोई भी संशोधन, सीपीपी पोर्टल और आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट: <https://www.icwa.in/> पर 'शुद्धिपत्र' के रूप में अपलोड किया जाएगा।
- (ग) यदि बोली अवधि के दौरान बोली दस्तावेज़ में परिवर्तन होता है, ताकि संभावित बोलीदाता को अपनी बोली तैयार करते समय संशोधनों पर विचार करने का समय मिल सके, तो आईसीडब्ल्यूए अपने विवेक से बोलियों के ई-जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
- (घ) बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए निविदा दस्तावेज़ में निहित किसी भी नियम और शर्तों को वापस लेने या अस्वीकार करने का अधिकार आईसीडब्ल्यूए के पास सुरक्षित है।
- (xix) **संविदा का बंद होना:** संविदाकार को अंतिम भुगतान करते समय और निष्पादन प्रतिभूति जारी करने से पहले, **अनुलग्नक-IV** में दिए गए प्रारूप के अनुसार संविदाकार से "नो क्लेम प्रमाणपत्र" लिया जाएगा।

(डॉ. वैभव ए. टंडले)
उप सचिव (आईसीडब्ल्यूए)
टेली. नं. 011-23317246
e-mail: ds@icwa.in

सीपीपी पोर्टल में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	विवरण	फ़ाइल का प्रकार
1.	बोली प्रतिभूति (बयाना जमा-राशि): बोली प्रतिभूति (बयाना जमा-राशि) के रूप में "इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स, नई दिल्ली" के पक्ष में आहरित रू.50,000 का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक की प्रतिलिपि। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईज़) या जो अनुवाद सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय खरीद संगठन के साथ पंजीकृत हैं, को बोली प्रतिभूति जमा करने से छूट दी गई है। इस आशय का दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	.pdf
2.	कंपनी/फ़र्म के पंजीकरण की प्रतियां	.pdf
3.	पैन और जीएसटी नंबर की प्रतिलिपि	.pdf
4.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणी की प्रति	.pdf
5.	बोली लगाने वाले के स्वामियों/भागीदारों की सूची	.pdf
6.	अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार बोली लगाने वाले के द्वारा घोषणा	.pdf
7.	भारत सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों के साथ की गई संविदाओं की संख्या (उत्तरती काम या छह महीने से कम का काम) - अंग्रेज़ी से हिंदी में या इसके विलोमतः अनुवाद - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान -2019-20, 2020-21 और 2021-22.	
8.	क्रम सं. 7 में निर्दिष्ट संविदाओं की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।	.pdf
9.	भारत सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों के साथ किए गए संविदाओं की संख्या: 6 महीने से अधिक या उसके बराबर की अवधि की दीर्घावधि संविदाएं/एम्पेनलमेंट - अंग्रेज़ी से हिंदी में या इसके विलोमतः अनुवाद - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान: 2019-20, 2020-21 और 2021-22	
10.	क्रम सं. 9 में निर्दिष्ट संविदाओं की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।	.pdf
11.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का टर्नओवर	.pdf
12.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक टर्नओवर (टर्नओवर के आंकड़ों को हाइलाइट किया जाना चाहिए) के समर्थन में खातों के लेखापरीक्षित विवरण और प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति	.pdf
13.	बोली लगाने वाले द्वारा स्थायी/काम पर रखे हुए प्रमुख कर्मियों की सूची, उनकी हिंदी या अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर या स्नातक की योग्यता और शिक्षा व कार्य अनुभव, प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के साथ। कृपया उनके पैन कार्ड की एक प्रतिलिपि संलग्न करें।	.pdf

निविदा संख्या. ICWA/104/16/2014 दिनांक 14.2.2023

कार्य का नाम: आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 को अनुवाद सेवाएं प्रदान करना।

वित्तीय बोली

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति शब्द
1.	अंग्रेज़ी से हिंदी में और इसके विलोमतः अनुवाद	
2.	वस्तु एवं सेवा कर या कोई अन्य कर, यदि कोई हो	
	योग	

नोट: (i) एक वर्ष में किए जाने वाला अनुवाद का अनुमानित कार्य लगभग 10,00,000 शब्द है।

अस्वीकरण: शब्द गणना अनुमानित है और वेण्डर्स द्वारा उचित बोली लगाने के लिए एक संदर्भ के रूप में उपयोग की जा सकती है। शब्द गणना केवल सांकेतिक प्रकृति की है और वर्तमान तथा साथ ही आगामी वर्षों में अलग-अलग हो सकती है।

(ii) बोली लगाने वाले यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उद्धृत मूल्य में संविदाओं अवधि के दौरान कार्य के निष्पादन और निरंतर निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति सहायता शामिल है।

(निविदाकर्ता के सील सहित हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्य का नाम: आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 को अनुवाद सेवाएं प्रदान करना।

शपथ पत्र

बोली लगाने वाले के द्वारा घोषणा

मैं/हम.....
मैसर्स..... के भागीदार/विधिक अटॉर्नी/स्वत्वधारी/मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि:

2. मैं/हम निविदा सूचना सं. ICWA/104/16/2014 दिनांक 14.2.2023 के संदर्भ में सुरक्षा सेवाओं के लिए जनशक्ति प्रदान करने के लिए निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम निविदा सूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत हैं।
3. मेरे/हमारे द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के संबंध में दी गई जानकारी और इस निविदा सूचना में दी गई जानकारी पूर्ण, ठीक और सत्य है।
4. इस निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़/ प्रत्यय-पत्र वास्तविक, प्रामाणिक, सत्य और वैध हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली "बिना किसी शर्त के" है।
6. नियमों और शर्तों के प्रावधानों को छोड़कर संविदा अवधि के दौरान दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
7. बोली लगाने वाली कंपनी या प्रोपराइटर/फ़र्म/पार्टनर को किसी भी सरकार, अर्ध-सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित/डी-लिस्ट नहीं किया गया है।
8. बोली लगाने वाली कंपनी या प्रोपराइटर/फ़र्म/पार्टनर के विरुद्ध आपराधिक/दीवानी का कोई मामला लंबित नहीं है।
9. यदि प्रस्तुत की गई कोई जानकारी/दस्तावेज़ असत्य/गलत पाया जाता है, तो आईसीडब्ल्यूए मेरी/हमारी निविदा को रद्द कर सकता है और संविदा की समाप्ति, बयाना जमा-राशि के साथ-साथ सभी बकाया राशि को जब्त करने और मेरी/हमारी फ़र्म और फ़र्म के सभी भागीदारों आदि को ब्लैक लिस्ट करने सहित मेरे/हमारे विरुद्ध जो भी कार्रवाई उचित मानी जाए, की जा सकती है,

दिनांक:

(निविदाकर्ता के सील सहित हस्ताक्षर)
नाम:

नो क्लेम प्रमाण-पत्र
(कंपनी के लेटरहेड पर)

प्रति

भारतीय वैश्विक परिषद,
नई दिल्ली

विषय : अनुवाद सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा/अनुबंध दिनांक से संबंधित नो क्लेम प्रमाण-पत्र

मुझे/हमें, आईसीडब्ल्यूए और हमारे बीच उपरोक्त संविदा/अनुबंध के अधीन अनुवाद सेवाएं प्रदान करने के लिए हमें देय सभी भुगतानों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में, रू.....की राशि प्राप्त हुई है। हम एतद्वारा बिना शर्त और बिना किसी आशंका के प्रमाणित करते हैं कि इस भुगतान के साथ, हमारे द्वारा निष्पादित पूर्वोक्त संविदा/अनुबंध के संबंध में आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध किसी भी खाते पर किसी भी विवरण का कोई दावा नहीं होगा। हम आगे स्पष्ट रूप से यह घोषणा करते हैं कि इस भुगतान के साथ, हमें देय सभी राशियाँ प्राप्त हो गई हैं और हमें देय और प्राप्त की गई राशियों के संबंध में किसी भी विवरण का कोई विवाद नहीं है, और यह कि हम अनुबंध के निष्पादन के संबंध में संविदा/अनुबंध के नियमों और शर्तों से बंधे रहेंगे।

भवदीय,

संविदाकार के हस्ताक्षर

मुहर

स्थान:
दिनांक:

मसौदा अनुबंध

भारतीय वैश्विक परिषद, सप्र हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001 को अनुवाद सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध

यह अनुबंध दि. _____ माह _____ दो हजार तेईस को भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली, जिसे इसके बाद आईसीडब्ल्यूए कहा जाएगा, एक पक्ष के रूप में और दूसरे पक्ष के रूप में मैसर्स _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ पर स्थित है, के बीच जिन्हें इसके बाद "संविदाकार" कहा जाएगा, उनके प्रतिनिधि _____ के माध्यम से किया गया है।

1. जबकि आईसीडब्ल्यूए अनुवाद का काम करने के लिए संविदाकार को सहर्ष वचनवद्ध करता है और संविदाकार आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने और वचनवद्धता से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सहमत है और दोनों पक्षों ने निम्नलिखित अनुसार सहमति व्यक्त की है:

(i) आईसीडब्ल्यूए द्वारा कभी भी प्रदान किए जाने वाले मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी भी पाठ के अंग्रेज़ी से हिंदी और इसके विलोमतः अनुवाद करना। विषय-सामग्री का अनुवाद संविदाकार के संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से किया जाना है न कि ऑटो-ट्रांसलेट सॉफ़्टवेयर जैसे Google Translate आदि के माध्यम से।

2. सामान्य शर्तें

- (i) **टर्नअराउंड समय:** एजेंसी को मूल सामग्री भेजे जाने के समय से अंग्रेज़ी से हिंदी और इसके विलोमतः अनुवाद के लिए वांछित डिलीवरी समय/टर्न-अराउंड समय दो दिन होगा।
- (ii) अनुवाद के लिए मूल सामग्री/पाठ आईसीडब्ल्यूए द्वारा ई-मेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- (iii) पॉइंट(स) ऑफ़ कॉन्टेक्ट: पॉइंट(स) ऑफ़ कॉन्टेक्ट: संविदाकार प्रमुख कर्मियों को पीओसी(‘ज़) के रूप में नामित करेगा, जो कि फ़ाइल को अंतरित करने के तरीके (तरीकों), अनुवाद की डिलीवरी, फीडबैक और सामान्य संविदा-संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने के समन्वय हेतु होंगे।
- (iv) जिस प्रारूप में दस्तावेज़ प्रदान किया जाता है वह आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट के फॉन्ट के सुसंगत होना चाहिए।
- (v) सौंपा जाने वाला कार्य विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे तकनीकी, गैर-तकनीकी, रिपोर्ट, भाषण आदि।
- (vi) संविदाकार को, संभव है कि सामग्री को एक फ़ाइल प्रारूप से दूसरे फ़ाइल प्रारूप में अनुदित करने की और आईसीडब्ल्यूए की आवश्यकता के अनुसार फ़ाइल प्रारूप में वापस करने की आवश्यकता हो।
- (vii) **गुणवत्ता की जांच:** अनुदित सामग्री की प्रामाणिकता के लिए इसकी आवश्यक प्रूफ रीडिंग, संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। संविदाकार को निम्नलिखित अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए:
 - (क) डिलीवर किया गया लक्ष्य पाठ संपूर्ण है – किसी चूक या परिवर्धन की अनुमति नहीं है।
 - (ख) लक्ष्य पाठ स्रोत विषय-सामग्री/पाठ का सटीक और समनुरूप अनुवाद है।

- (ग) उपयोग की जाने वाली शब्दावली और शब्द भंडार, स्रोत विषय-सामग्री/पाठ के अनुरूप हैं।
- (घ) लक्ष्य पाठ में वाक्य-विन्यास, वर्तनी, विराम चिह्न, टंकण या अन्य व्याकरण संबंधी कोई त्रुटियाँ नहीं हैं।
- (ङ) प्राधिकृत करने वाले विभाग द्वारा दिए गए प्रत्येक विशिष्ट निर्देश का पालन किया जाता है और सहमत समय सीमा का निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाता है।
- (च) प्रदेय सामग्री/पाठ में कोई भी रेखांकित की गई त्रुटि, संविदाकार द्वारा बिना कोई पैसा लिए तुरंत ठीक की जानी चाहिए और सही किया गया पाठ तुरंत लौटाया जाना चाहिए।
- (छ) आईसीडब्ल्यू अनुवाद की गुणवत्ता पर नियमित फ़ीडबैक प्रदान करेगा, जिसके आधार पर संविदाकार द्वारा आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।

(viii) गोपनीयता और गुप्तता

- (क) संविदाकार द्वारा मामले की गुप्तता हर समय बनाए रखी जानी चाहिए।
- (ख) संविदाकार एतद्वारा यह अभिस्वीकृति देता है कि अनुदित पाठ और दृश्य-सामग्री दोनों के लिए कॉपीराइट आईसीडब्ल्यू के पास है।
- (ग) संविदाकार को, आईसीडब्ल्यू की लिखित अनुमति के बिना, फोटोकॉपी करने, फोटोग्राफिंग, साइक्लोस्टाइलिंग, माइक्रोफिल्मिंग, स्कैनिंग या कॉपी करने के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या किसी भी अन्य माध्यम सहित किसी भी तरह से प्रतिकृति तैयार करने/पुनर्मुद्रण/तीसरे पक्ष को प्रेषित करने का अधिकार नहीं है।

(ix) संसाधन व्यक्ति

- (क) संविदाकार के स्थायी/काम पर रखे गए प्रमुख कर्मियों की सूची उनकी योग्यता और अनुभव के साथ आईसीडब्ल्यू को प्रस्तुत की जाएगी।
- (ख) संविदाकार को इस शर्त का पालन करना होगा कि संसाधन व्यक्ति जो मंत्रालय में सूचीबद्ध/प्रस्तुत किए गए हैं, आईसीडब्ल्यू के सभी कार्यों को पूरा करेंगे।
- (ग) संसाधन व्यक्तियों की सूची में किसी भी परिवर्तन को सहमति के लिए आईसीडब्ल्यू के तत्काल ध्यान में लाया जाएगा।
- (घ) तकनीकी मूल्यांकन के दौरान परीक्षा में भाग लेने वाले संसाधन व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से और मुख्य रूप से आईसीडब्ल्यू के काम को संभालना चाहिए।
- (ङ) एजेंसी के वे संसाधन व्यक्ति जो अनुवाद कार्य कर रहे हैं, के पास प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों से प्रासंगिक भाषाओं में या प्रासंगिक भाषाओं में अनुवाद में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए या केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय से ग्रेड 'ए' के साथ अनुवाद पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए, या भारत सरकार/राज्य सरकारों या भारत में प्रतिष्ठित संगठनों/कंपनियों में अनुवादक के रूप में कार्य अनुभव होना चाहिए।

3. **क्षतिपूर्ति:** संविदाकार आईसीडब्ल्यू के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष द्वारा लाए गए सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, दावों की माँगों, हानियों और किसी भी प्रकार के दायित्वों से, मुकदमेबाजी की सभी लागत और खर्चों, अटॉर्नी की फीस, निपटान भुगतान और नुकसान सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, से आईसीडब्ल्यू और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा, जो इन पर आधारित, इनसे उत्पन्न या इनसे संबंधित हैं:

- (i) यह आरोप या दावा कि संविदा की शर्तों के अधीन आईसीडब्ल्यू द्वारा, किसी पेटेंट किए गए उपकरण, किसी कॉपीराइट सामग्री, या किन्हीं उन अन्य वस्तुओं, संपत्ति या सेवाओं जो आईसीडब्ल्यू को प्रदान की गई हैं या लाइसेंसीकृत हैं, का कब्जा या उपयोग, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पृथक से या एक संयोजन में संविदाकार द्वारा प्रकाशित विनिर्देशों को परिकल्पित करता है या अन्यथा संविदाकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया है, किसी भी तीसरे पक्ष के किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करता है; या

(ii) संविदाकार या संविदाकार के कर्मियों या संविदा के निष्पादन में संविदाकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भी कार्य, जो किसी भी व्यक्ति के लिए कानूनी दायित्व को सृजित करता है जो संविदा के पक्ष में नहीं है, जिसमें बिना किसी सीमा के, कार्यकर्ता के मुआवजे के दावे की प्रकृति में दावे और देयता शामिल हैं।

(iii) ऊपर वर्णित क्षतिपूर्ति, आईसीडब्ल्यूए द्वारा विशिष्ट लिखित निर्देश के साथ संविदाकार के अनुपालन के परिणामस्वरूप होने वाले उल्लंघन के दावे पर लागू नहीं होगी, जिनमें वस्तुओं, संपत्ति, सामग्री, संविदा के निष्पादन के लिए विशिष्टताओं में बदलाव को निर्देशित करते हुए, आमतौर पर संविदाकार द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले विनिर्देशों के उपयोग की आवश्यकता होती है।

(क) इस अनुच्छेद में निर्धारित क्षतिपूर्ति दायित्वों के अतिरिक्त, इस अनुच्छेद के अनुसार संविदाकार अपने एकमात्र खर्च पर आईसीडब्ल्यूए और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों का बचाव करने के लिए बाध्य होगा, भले ही मुकदमे, कार्यवाही, दावे और प्रश्नगत मांग वास्तव में किसी भी नुकसान या देयता को जन्म देती हो या अन्यथा परिणाम देती हो।

(ख) आईसीडब्ल्यूए यथार्थ में नोटिस प्राप्त करने के बाद उचित समय के भीतर ऐसे किसी भी मुकदमे, कार्यवाही, दावों, मांगों, नुकसान या देयता के बारे में संविदाकार को सूचित करेगा। आईसीडब्ल्यूए के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के दावे या बचाव या उससे संबंधित किसी भी मामले को छोड़कर, जिसके लिए केवल आईसीडब्ल्यूए ही दावा करने और बरकरार रखने के लिए अधिकृत है, संविदाकार के पास ऐसे किसी भी मुकदमे, कार्यवाही, दावे, या मांग में बचाव करने और उसके निपटान या अनुबंध के संबंध में बातचीत पर एकमात्र नियंत्रण होगा। आईसीडब्ल्यूए को अधिकार होगा कि वह अपने खर्च पर ऐसे किसी मुकदमे, कार्यवाही, दावे या मांग में अपनी पसंद के स्वतंत्र वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करे।

4. **उपकरण:** संविदाकार सहायक सामग्री के साथ अपने उपकरण का उपयोग करेगा।

5. **संपदा अधिकार:** इस संविदा के माध्यम से संविदाकार को सौंपे गए कार्यक्रमों की सामग्री पर आईसीडब्ल्यूए का एकमात्र स्वामित्व अधिकार होगा। सामग्री जिसे 'गोपनीय जानकारी' के रूप में नामित किया गया है, संविदाकार द्वारा गोपनीयता के साथ रखी जाएगी।

6. **आईसीडब्ल्यूए के नाम, प्रतीक या आधिकारिक सील का प्रचार और उपयोग:** संविदाकार वाणिज्यिक लाभ या सद्भावना के प्रयोजन के लिए यह विज्ञापित नहीं करेगा या अन्यथा रूप से सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका आईसीडब्ल्यूए के साथ एक संविदात्मक संबंध है न ही संविदाकार अपने व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा रूप से, मंत्रालय की लिखित अनुमति के बिना, आईसीडब्ल्यूए के नाम या किसी संक्षिप्त नाम, प्रतीक या आधिकारिक सील का उपयोग करेगा। संविदाकार अभिस्वीकृति देता है और सहमत है कि इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अनुबंध की एक अनिवार्य शर्त का उल्लंघन होगा।

7. **पारिश्रमिक:** अनुवाद सेवाओं के लिए प्रभार का रु..... प्रति शब्द की दर से भुगतान किया जाएगा। भुगतान मासिक रूप से किया जाएगा।

8. **संविदा की वैधता:** संविदा दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी, जिसे मौजूदा नियमों और शर्तों पर और संविदाकार की लिखित सहमति के साथ आईसीडब्ल्यूए के विवेकाधिकार पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

जिनको साक्षी मानकर इस अनुबंध पर पक्षों के बीच उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा नई दिल्ली में दि.____ माह____ 2023 को हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध ____ से प्रभावी होगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(संविदाकार)

उपसचिव
आईसीडब्ल्यूए,
नई दिल्ली

